File No.3/3/2/0002/2019-Estab-CLR

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्य प्रदेश

क्रमांक /865 /स्था.एक/पट./19881/2019 ग्वालियर, दिनांक 23.12.2019

प्रति,

कलेक्टर
भू अभिलेख
जिला समस्त
मध्यप्रदेश

विषय :- खाद्यान्न पर्ची एवं बी पी एल राशनकार्ड की जांच से पटवारियों को मुक्त रखने बाबत्।

विषयांकित प्रदेश में जिलों मे पटवारियों को खाद्यान्न पर्ची की जांच हेतु प्रशिक्षण एवं बीपीएल राशनकार्ड के आवेदनों की जाच संबंधी कार्य करवाया जा रहा है जबकि उक्त कार्य मूलरूप से खाद्य एवं पंचायत से संबंधित होकर उनके द्वारा ही किया जाता है। बीपीएल आवेदन पत्र की जाच में सिर्फ एकमात्र बिंदु भूमि संबंधित जानकारी का आता है जिसमे आवेदक की कृषि भूमि की जानकारी चाही होती है। वर्तमान में भूमि संबंधित समस्त डाटा ऑनलाइन होकर सार्वजनिक रूप से अवलोकन कर प्रमाणित किया जा सकता है। प्रदेश की समस्त पंचायतें कम्प्युटरीकृत एवं आधुनिक संसाधन युक्त होकर नेट डाटा से ऑनलाइन जुड़ी है इसलिये इस कार्य हेतु पटवारी द्वारा ही भूमि की जानकारी देने की बाध्यता या आवश्यकता नहीं है।

वर्तमान समय मे पटवारियों पर राजस्व अभियान के तहत नामान्तरण, बटवारे, सीमांकन, राजस्व प्रकरणों में जांच प्रतिवेदन, ऑनलाईन गिरदावरी, पीएमकिसान सम्मान निधि योजना तथा अन्य अनेक प्रकार की जानकारी एक निश्चित समय सीमा मे दी जाना आवश्यक है। जिससे उक्त बीपीएल के लगातार बहुतायत आवेदन की वजह से राजस्व संबंधी कार्यो पर विपरीत प्रभाव पडता है।

अतः पटवारी पर राजस्व के अन्य महत्वपूर्ण कार्यो को दृष्टिगत रखते हुये उसे खाद्यान्न पर्ची एवं बी पी एल संबंधित कार्यो से मुक्त रखने हेतु अनुरोध है।

आयुक्त
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त
म.प्र. ग्वालियर

पृ.क्र. 1868 /स्था.एक/पट./17604/2019 ग्वालियर, दिनांक 23.12.2019

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म प्र शासन, राजस्व विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अधीक्षक भू अभिलेख जिला समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3.

आयुक्त
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त
म.प्र. ग्वालियर

Dnyaneshwar Bhalchandra. Patil, CLR(DBP), COMMISSIONER LAND RECORD
Dnyaneshwar Bhalchandra. Patil
SECRETARY
COMMISSIONER LAND RECORD
COMMISSIONER

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय कलेक्टर भू–अभिलेख जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

(slrtik@mp.gov.in, slrtkg@gmail.com)

कमांक 481 / 18 / भू–अभि. / स्था. / 2021 टीकमगढ़, दिनांक 27/03/2021

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (समस्त)
जिला टीकमगढ़ म0प्र0

2 – जिला आपूर्ति अधिकारी
जिला टीकमगढ़ म0प्र0

3 – तहसीलदार समस्त
जिला टीकमगढ़ म0प्र0

विषयः–खाद्यान्न पर्ची एवं बी.पी.एल. राशन कार्ड से पटवारियों को मुक्त रखने बाबत्।

संदर्भः–आयुक्त भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त म0प्र0 ग्वालियर का पत्र क0 1868 / स्था. एक / पट. / 19881 / 2019 दिनांक 23.12.2019।

---000---

विषयांकित संदर्भित पत्र के कम में लेख है कि जिले में पटवारियों को खाद्यान्न पर्ची की जॉच हेतु एवं बी.पी.एल. राशन कार्ड के आवेदनों की जॉच संबंधी कार्य करवाया जा रहा है । उक्त कार्य मूल रूप से खाद्य एवं पंचायत से संबंधित होकर उनके द्वारा ही किया जाता है ।

बी.पी.एल. आवेदन की जॉच में सिर्फ एक मात्र बिन्दु भूमि संबंधी जानकारी का आता है । जिसमें आवेदक की कृषि भूमि की जानकारी चाही होती है । वर्तमान में भूमि संबंधित समस्त डाटा ऑनलाइन होकर सार्वजनिक रूप से अवलोकन कर प्रमाणित किया जा सकता है ।

प्रदेश की समस्त पंचायतें कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिक संसाधन युक्त होकर नेट डाटा से जुड़ी है । इसलिये इस कार्य हेतु पटवारी द्वारा ही भूमि की जानकारी देने की बाध्यता या आवश्यकता नहीं है । पटवारी पर राजस्व के अन्य महत्वपूर्ण कार्य को दृष्टिगत रखते हुये उसे खाद्यान्न पर्ची एवं बी.पी.एल. कार्यो से मुक्त रखा जाये ।

(कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित)

अपर कलेक्टर
जिला टीकमगढ़ म0प्र0

Dameniya babuji -re

Scanned with OKEN Scanner